न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बस्सी (जयपुर)

(पीठासीन अधिकारी ओम प्रकाश मीना RAS)

प्रार्थना पत्र संख्याः— 138/2024 जी.सी.एम.एस नं0 2024/293

1. मदनलाल पुत्र हरसहाय
2. धर्मेन्द्र पुत्र बद्रीनारायण
3. मूली देवी पत्नी स्व0 बद्रीनारायण
4. विष्णु पुत्र भगवान सहाय

समस्त जाति नाई निवासी सैन कालोनी कुलचानियों का मौहल्ला कानोता तहसील बस्सी जिला जयपुर।

—:प्रार्थीगणः—

बनाम्

1. गिरिराज कृपा बिल्डकान प्रा.लि. जयपुर कार्यालय 125 पिंकसिटी टॉवर झोटवाड़ा रोड़, जयपुर जरिये निदेशक सत्यनारायण गुप्ता पुत्र राधेश्याम गुप्ता जाति महाजन निवासी प्लाट नं. 1 ई—19 शिव शक्ति कॉलोनी शास्त्रीनगर जयपुर।
2. बद्रीनारायण पुत्र गंगासहाय जाति हरियाणा ब्राहमण निवासी बस्सी जिला जयपुर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बस्सी जिला जयपुर।
4. उप पंजीयक बस्सी, तहसील बस्सी जिला जयपुर।

—:अप्रार्थीगणः—

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज0 काश्तकारी अधिनियम, 1955

निर्णय

दिनांकः—21.01.2025

प्रार्थीगण ने जरिये अभिभाषक उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय का प्रस्तुत किया है कि आराजी खसरा नम्बर 306 रकबा 0.6070 हैक्टेयर वाके ग्राम कानोता प.ह. कानोता तहसील बस्सी जिला जयपुर में प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 1 व 2 रिकॉर्डेड खातेदार दर्ज होकर काबिज काश्त है। वादग्रस्त भूमि पर प्रार्थी संख्या 1 का 1/5 हिस्सा, प्रार्थी संख्या 2 का हिस्सा 1/10, प्रार्थीया संख्या 3 का हिस्सा 1/10, प्रार्थी संख्या 4 का हिस्सा 1/5 एवं अप्रार्थी संख्या 1 का हिस्सा 1/5 व अप्रार्थी संख्या 2 का हिस्सा 1/5 हाल राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में दर्ज है। उक्त वादग्रस्त कृषि भूमि का कोई विधिक विभाजन नहीं हुआ है। दिनांक 26.07.2024 को अप्रार्थी संख्या 1 ता 2 एक राय होकर अविभाजित भूमि को बिना विधिक विभाजन के विक्रय करने लगे। प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 ता 2 हिस्से अनुसार शामलाती काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का पेश कर अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वे उक्त वादग्रस्त आराजी में किसी प्रकार का नया निर्माण नहीं करे, ना ही प्रार्थी के कब्जे काश्त व हिस्से की भूमि में दखलंदाजी नहीं करे, ना ही भूमि वादग्रस्त को खुर्द—बुर्द करे, ना ही किस्म परिवर्तन करे। अंत में प्रार्थी ने निवेदन किया है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को ताफैसला मूल दावा इस प्रकार पाबंद किया जावे कि वे आराजी में प्रार्थी के कब्जे काश्त में बेजा मदाखलत मजाहमत नहीं करें, मौका व रिकार्ड की यथाथिति बनाये रखें।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दिनांक 08.08.2024 को न्यायालय द्वारा उभयपक्ष को विवादित आराजी पर मौके एवं रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखें से पाबंद किया जाकर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। बावजूद सम्यक तामील हाजिर अदालत नहीं आने पर अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वकील प्रार्थीगण ने निवेदन किया कि उक्त सम्पूर्ण आराजी का मनबट के आधार पर हिस्से अनुसार विभाजन कर रखा है और काबिज होकर काश्त कर रहे हैं। तथा उक्त वादग्रस्त भूमि में उभयपक्षकारान को पाबन्द किये जावें।

उप खण्ड अधिकारी

पत्रावली पर प्रार्थी अभिभाषक की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। बिन्दूवार विवेचन निम्नानुसार हैः—

1. <u>प्रथम दृष्टया प्रकरण</u>ः— पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी के अनुसार आराजी खसरा नम्बर 306 रकबा 0.6070 हैक्टेयर वाके वाके ग्राम कानोता प.ह. कानोता तहसील बस्सी जिला जयपुर पर प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण सह खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। विवादित आराजी का अभी तक विधिवत रूप से विभाजन नहीं हुआ है। विवादित आराजी प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण सं0 1 ता 2 की सहखातेदारी की आराजी है। अतः रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार होने से प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थीगण के हक में सिद्ध होता है।
2. <u>सुविधा का संतुलन</u>ः— आराजी मुतनाजा के संयुक्त रूप से रिकॉर्डेड सहखातेदार काश्तकार होने से सुविधा का संतुलन दोनों ही पक्षों के हक में प्रमाणित है।
3. <u>अपूर्णनीय क्षति</u>ः— चूंकि विवादित आराजी का अभी विधिवत बंटवारा नहीं हुआ है। मूल दावा जो विभाजन का है, निस्तारण से शेष है। यदि दौराने दावा किसी भी पक्ष द्वारा आराजी को खुर्द—बुर्द किया जाता है तों दोनों ही पक्षों को अपूर्णनीय क्षति होना संभावित है।

उपरोक्त विवेचनानुसार वादग्रस्त—आराजी—की बाबत दोनों ही पक्षों को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित रहेगा।

<u>अतः आदेश है किः—</u>

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम ताफैसला मूल दावा स्वीकार किया जाकर उभयपक्षकारान को पाबंद किया जाता है कि वे वाके ग्राम कानोता स्थित आराजी खसरा नम्बर 306 रकबा 0.6070 हैक्टेयर का बेचान नहीं करें, ना कोई निर्माण करें एवं दखलदाजी नहीं करें ना ही दीगर से करावें एवं मौके एवं रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखें। उभयपक्षकारान अपने हिस्से की आराजी को रहन रखने हेतु स्वतंत्र हैं।

निर्णय आज दिनांक 21.01.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सत्यमेव जयते

(ओम प्रकाश मीना R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी बस्सी
बस्सी, जिला जयपुर